

आदेश

पुलिस मुख्यालय में पुलिस निरीक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन/अनुशंसा पर चिकित्साव्यवहार, कार्यहित, प्रशासनिक आधार, सेवानिवृत्ति की निकटता एवं अन्य आधार पर विचार हेतु दिनांक-14-15/02/2017 एवं बाद की तिथियों में आयोजित केन्द्रीय स्थापन समिति के बैठक के उपरान्त की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पुलिस निरीक्षकों को उनके नाम के सामने अंकित प्रक्षेत्र/इकाई/जिला में स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है :-


क्र०	पुलिस निरीक्षक का नाम/गृह जिला/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरित जिला/इकाई
1	2	3	4
1	मंजु कुमारी	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो	अपराध अनुसंधान विभाग
2	अनिमेष कुमार	कटिहार	अपराध अनुसंधान विभाग
3	सतीश कुमार	रेल पटना	कैमूर
4	वासुकी नाथ झा अररिया	विशेष शाखा	खगड़िया
5	जय शंकर प्रसाद यादव	विशेष शाखा	कटिहार
6	राजेश कुमार सिंह	कैमूर	अपराध अनुसंधान विभाग
7	रमेश प्रसाद सिंह	पटना जिला	मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र में किए गए स्थानान्तरण के स्थान पर पटना जिला
8	विवेन्द्र कुमार चन्देल रोहतास 07.11.1958	दरभंगा जिला	अपराध अनुसंधान विभाग
9	धर्मेन्द्र भारती पटना 02.07.2012	शिवहर	भोजपुर
10	बज बिहारी पाण्डेय	गया	विशेष शाखा
11	प्रदीप कुमार चौधरी	सी०टी०एस० सिमुलतल्ला, जमुई	भागलपुर
12	मो० नसीम अहमद	विशेष शाखा	कैमूर
13	दीपक कुमार यादव	विशेष शाखा	खगड़िया
14	जहांगीर अन्सारी	कैमूर (निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्त)	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो

*(Handwritten mark)*

15	रजनीश कुमार	कैमूर (आधुनिक नियंत्रण कक्ष, पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त)	पुलिस मुख्यालय
----	-------------	--	----------------

क्रमांक 3, 4, 5, 9, 11, 12 एवं 13 पर अंकित पदाधिकारी अविलम्ब स्थानान्तरित जिला के लिए विरमित किए जायेंगे तथा शेष पदाधिकारी दिनांक 01.04.2017 से स्थानान्तरित जिला/इकाई के लिए विरमित किये जायेंगे।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

  
1.3.17  
पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण)  
1.3.17  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2644 /पी-1

4-09-23-16


पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 1-3-2017

- प्रतिलिपि - सभी संबंधित पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेलवे एवं सभी इकाई सहित/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण)/प्राचार्य, सी0टी0एस0 सिमुलतल्ला को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

चूंकि स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, अतः उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यदि किसी अभ्यावेदक का इस बीच वर्तमान पदस्थापन स्थान से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया हो तो उन्हें उसी जिला/इकाई से स्थानान्तरित स्थान के लिए विरमित करने की कार्रवाई की जाय।

3. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
1.3.17  
पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण)  
1.3.17  
बिहार, पटना।